

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

05⁶/₂₄ पत्रावली पेश हुई। कोर्ट भी उपाधिकार
नहीं आये। वादी रण्व उनके वकील को बार
बार आवाज लगाई गई। कोर्ट भी उपाधिकार नहीं
है। ना ही वादी डाय सम्मन तलवाना प्रस्तुत
किये जा रहे हैं। जिस सूरत में वादी की उम्ह
जिवादि आराजी में कोर्ट रुचि नहीं होना प्य
करना है। अतः वादी का वाफ 09 R05 में
रखादि किया जाता है। पत्रावली फौजल थुमार
होकर नम्बर से कम है। वाप प्राप्त दाखिल
दालत है।



उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)